उत्तर प्रदेश व अन्य

बनाम

मनोज कुमार द्विवेदी व अन्य

(विशेष अनुमति याचिका(सी) संख्या 7756/2006)

25 फरवरी, 2008

(ए.के. माथुर और आफताब आलम, जे.जे.)

उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थान नियम, 1968 नियम में उल्लेखित कुछ स्थानों के "निकट" नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थान नियम 1968 नियम 5(4) शराब की दुकान के लिए स्थान और स्थल नियम में उल्लेखित कुछ स्थानों का निकट होना नहीं चाहिए- उच्च न्यायालय ने माना है कि 100 मीटर या 300 फुट(लगभग) शराब की दुकान के लिए एक उचित उपाय होगा, जहां शराब की दुकान नहीं खाली जानी चाहिए- सिद्धांतः न्यायालय का मानना सही था कि 100 मीटर या 300 फुट(लगभग) मापदंड होना चाहिए जहां आबकारी आयुक्त आबकारी अधिनियम के तहत किसी दुकान को कोई लाइसेंस नहीं देगा। हालांकि, उच्च न्यायालय का दृष्टिकाेण प्रभावित पक्षों को बिना किसी नोटिस के दुकानें बंद करने का दृष्टिकोण सही नहीं थी। दुकानों का संचालन दिनांक 31-03-2008 तक होता रहेगा और उसके बाद 100 मीटर या 300 फुट(लगभग) के दायरे में आने वाली सभी दुकानें नियम में उल्लेखित स्थान को बंद कर दिया जाएगा- प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत- नोटिस

शब्द और वाक्यांश

अभिव्यक्ति "निकटता जैसा कि नियम 5 (4) उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थान नियम 1968 तात्पर्य।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार; विशेष याचिका अपील करने की अनुमति (सिविल) संख्या 7756/2006

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बेंच लखनउ के सीएमडब्ल्यूपी सं. 1678/2006(PIL) और डब्ल्यू पी सं. 2093(M/B) of 2006 (PIL) में निर्णय और आदेश दिनांक 06-04-2006 से

के साथ

एसएलपी(C) सं. 8016/2006, 8022/2006 and 2684/2006.

डाॅ. आर.जी. पहाड़िया, अजय कुमार मिश्रा, दिनेश कुमार गोस्वामी, अनिल कुमार झा, अनुराग शर्मा जोसेफ उपकाल, प्रशांत कुमार, अरविंद वर्मा, मालविका त्रिवेदी, टी. महिपाल, कमलेंद्र मिश्रा, शेखर कुमार, संतोष कुमार त्रिपाठी, एस. जनानी, दीपक गोयल, इंद्रा साहनी, बी.के. प्रसाद, श्रीमती अनिल कटियार, डी.एस. माहरा, के. त्यागी और पी. नरसिम्हन पक्षकारों की तरफ से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया :-

1. इस सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में नियम 5 के उपनियम (4) की व्याख्या के बारे में एक सामान्य प्रश्न शामिल है और उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थान नियम 1968 (इसके बाद संक्षेप में "यू.पी. आबकारी नियम") चूंकि इन याचिकाओं में एक सामान्य प्रश्न शामिल है इसलिए उनपर एक साथ सुनवाई की गई और इस आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। हालांकि, इन याचिकाओं के सुविधाजनक निपटान

के लिए एसएलपी(सी) संख्या 7756/2006 के तथ्यों को ध्यान में रखा गया है।

एसएलपी (सी) संख्या 7756/2006

2. यह याचिका उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 06-04-2006 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके तहत डिविजन बैंच ने यह विचार किया है कि "नजदीकी निकटता" शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश आबकारी नियम के नियम (5) उपनियम (4) में किया गया है। 100 मीटर या 300 फीट का होना अभिप्रेत होगा। हाईकोर्ट के डिविजन बैंच के फैसले का संक्षिप्त सार यह है कि हाईकोर्ट की लखनउ बैंच के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें शिकायत की गई थी कि यू.पी. आबकारी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शराब की दुकानें पूरी तरह से आवासीय क्षेत्रों में खोली गई हैं।

3. उक्त आबकारी नियम धारा 40 की उपधारा 2 के खंड (सी) और (एफ) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (यू.पी. अधिनियम संख्या 4 1910) के साथ धारा 21 यू.पी. सामान्य खंड अधिनियम 1904 (यूपी अधिनियम संख्या 1/1904) नियम 5 का उपनियम (4) आबकारी नियमों का विवरण इस प्रकार है:-

"5. दुकानों/उपदुकानों के लिए स्थान और स्थल निर्धारित करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा :-

(4) किसी भी नई दुकान या उपदुकान को सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या कारखाने के स्थान या किसी बाजार या आवासीय कॉलोनी के प्रवेश द्वारा के करीब

लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। किसी दुकान या उपदुकान के लाइसेंस से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई सभी आपत्तियों पर पूर्ण विचार किया जाएगा।"

4. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि सभी लाइसेंस प्राप्त दुकानें जो किसी सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या कारखाने या प्रवेश द्वार, कोई बाजार या आवासी कॉलोनी के करीब चल रही थी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप लखनउ के गोमती नगर क्षेत्र में 53 शराब की दुकानें बंद कर दी गई। पक्षों को सुनने और समस्या का न्यायोचित समाधान निकालने के बाद डिविजन बेंच ने 100 मीटर या 300 फीट (लगभग) की दूरी तय की, जिसके भीतर सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल के स्थान के करीब कोई शराब की दुकान नहीं होगी। अस्पताल, पूजा स्थल या फेक्ट्री या बाजार या आवासीय कॉलोनी का प्रवेश द्वार के स्थान के करीब कोई शराब की दुकान नहीं होगी।

5. उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर की गई है।

6. सभी याचिकाओं और कार्यवाही में नोटिस जारी कर दिए गए थे और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28-04-2006 के आदेश के तहत आक्षेपित निर्णय और आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। आज याचिका हमारे सामने अंतिम निपटान के लिए आई है।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

8. उत्तर प्रदेश आबकारी नियम का नियम 5 का उपनियम 4 आबकारी दुकानों और उपदुकानों के स्थान से संबंधित है और दुकानों को उक्त नियमों के नियम 2(ए) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

"(क) दुकान" का अर्थ देशी शराब, विदेशी शराब और भांग की बिक्री के लिए खुदरा दुकान है।"

यू.पी. आबकारी नियम का नियम 5 दुकान के स्थान और उस सिद्धांत से संबंधित है जिसका किसी दुकान को लाइसेंस जारी करते समय पालन किया जाना चाहिए। उपनियम 4 के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि देशी शराब, विदेशी शराब, भांग की बिक्री के लिए कोई भी दुकान या उपदुकान सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, फेक्ट्री, बाजार या आवासीय काॅलोनी के स्थान के करीब नहीं खाेली जाएगी। उक्त नियम के किसी भी उल्लंघन के मामले में यदि प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां प्राप्त होती हैं तो उसपर पूर्ण विचार किया जाएगा। इसलिए यदि कोई दुकान किसी सार्वजनिक स्थल, स्कूल, अस्पताल, पूजास्थल या कारखाने के नजदीक या किसी बाजार या आवासीय प्रवेश द्वार पर खाेली जाती है तो उस क्षेत्र के निवासियों को विरोध करने का अधिकार है और निर्णय आबकारी आयुक्त को लेना है। दुर्भाग्य से राज्य की प्रवृत्ति राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए नियमों की अनदेखी करने की है और राज्य अंधाधुंध दुकाने खोलता है जिससे क्षेत्र के निवासियों का जीवन दयनीय हो जाता है। वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रमाणित जनहित याचिका इस मामले में आवश्यक कदम उठाने में राज्य मशीनरी की विफलता का परिणाम थी। यदि आबकारी आयुक्त ने शराब विक्रय का लाइसेंस जारी करते समय उचित सावधानी बरती होती और क्षेत्र के

निवासियों की आपत्ति पर विचार किया होता, तो शायद उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं होती।

9. जो भी हो, एेसा प्रतीत होता है कि किसी सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या कारखाने के नजदीक, या किसी बाजार या आवासीय के प्रवेश द्वार पर दुकानें खोलते समय उचित सावधानी नहीं बरती गई और इस तरह नियम 5 का उपनियम 4 उच्च न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आया। उच्च न्यायालय ने विचार करने के बाद मामले के समग्र दृष्टिकोण से यह राय दी कि 100 मीटर या 300 फुट (लगभग) एक उचित उपाय होगा जहां सार्वजिनक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या किसी स्थान के करीब दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं और हमारा यह भी विचार है कि 100 मीटर या 300 फीट (लगभग) सही मापदंड होना चाहिए, जहां आबकारी आयुक्त आबकारी नियम के तहत किसी दुकान को कोई लाइसेंस नहीं देगा। हमें आशा और विश्वास है कि राज्य के आबकारी आयुक्त यू.पी. के नियम 5 के उपनियम 4 पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कोई भी दुकान या उपदुकान किसी भी सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या कारखाने के स्थान या प्रवेश द्वार के 100 मीटर या 300 फुट (लगभग) के दायरे में नहीं खोली जावे। "निकटता" शब्द की व्याख्या अस्पष्ट थी इसलिए अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया लेकिन, अब इस मामले को किसी भी अस्पष्टता से परे रखा गया इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा "निकटता" अभिव्यक्ति की व्याख्या के साथ, मामले को सही परिपेक्ष्य में रखा गया है और संदेह दूर हो गया है इसलिए उस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए

दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं कि पूजा स्थल या फेक्ट्री या किसी बाजार या आवासीय कोलोनी के प्रवेश द्वार तक कोई दुकान या उपदुकान उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम और नियम के तहत नहीं खोली जावेगी।

10. हालांकि, हम प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी किए बिना दुकान बंद करने के उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं। एेसा नहीं करना चाहिए था चूंकि इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी, इन दुकानों का संचालन जारी है। हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 28-04-06 जिसके तहत ये दुकानें संचालित हो रही हैं दिनांक 31-03-2008 तक संचालित होती रहेगी और उसके बाद यू.पी. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी दुकान या उपदुकान संचालित नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत किसी स्थान के 100 मीटर या 300 फीट (लगभग) के दायरे में कोई भी सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या कारखाना या किसी बाजार या आवासीय कोलाेनी का प्रवेश द्वार तक नहीं खोला जाएगा। सभी दुकान मालिक या उपदुकान मालिक अपनी दुकानें 31-03-08 काे या उससे पहले बंद कर देंगे। यदि वे सार्वजनिक रिसोर्ट, स्कूल, अस्पताल के स्थान से 100 मीटर या 300 फीट (लगभग) के दायरे में है। चूंकि पर्याप्त समय है इसलिए दुकान मालिक या उपदुकान मालिक अपनी दुकानें स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। यदि ये दुकानें दिनांक 31-03-2008 के बाद बंद नहीं होती हैं तो राज्य के आबकारी आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त दुकानें बंद हो जाएं और यदि वे निषिद्ध क्षेत्र में संचालित हो रही हैं तो कोई नया लाइसेंस या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया जाता है। एसएलपी (सी) संख्या 8016/2006, एसएलपी (सी) संख्या 8022/2006 और एसएलपी (सी) संख्या 7684/2006.

एसएलपी (सी) संख्या 1678/2006 में उल्लेखित कारणों से, इन याचिकाओं का भी उन्हीं शर्तों पर निस्तारण किया जाता है।

विशेष अनुमति याचिका निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूजा मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।